


शिकायत निवारण प्रकोष्ठ संबंधी नियमावली


1. शिकायत पेटी समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी।
2. शिकायत पत्र प्राप्ति के बाद समिति द्वारा प्राचार्य को समस्या से लिखित रूप में अवगत कराया जाएगा।
3. प्राचार्य द्वारा शिकायत के प्रकार को देखते निम्न प्रकार से समाधान किये जायेंगे:-
 - महाविद्यालय के संसाधनों एवं सुविधा से सम्बन्धित शिकायतों को आन्तरिक शिकायत प्रकोष्ठ समिति के द्वारा सम्बन्धित विभागों अथवा कार्यालय के माध्यम से समाधान कर छात्राओं को अवगत कराया जायेगा। उक्त समाधान को छात्राओं हेतु सूचना पट्ट में चरपा किया जायेगा।
 - अनुशासन सम्बन्धित शिकायत को शास्ता मण्डल को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - महिला उत्पीड़न तथा यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायत को महाविद्यालय में गठित महिला उत्पीड़न निवारण समिति को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - छात्राओं की रैगिंग से सम्बन्धित शिकायतों को महाविद्यालय के एण्टी रैगिंग समिति को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - इन सबके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की शिकायत होने पर प्राचार्य द्वारा समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिहस्ताक्षरित


प्राचार्य,

राजकीय स्नातकोत्तर महिला
महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

Principal
Govt. Girls P. G. College
Haldwani (Nainital)


संयोजक

डा० ललिता जोशी